सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 09, बुधवार, *शाके 1946*- जनवरी 29, 2025
Magha 09, Wednesday, Saka 1946- January 29, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2025

संख्या एफ.15(1)पंरा/विधि/जि.प.गठन/2025/08:-राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9(18)राज-1/2022-(9) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(12) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(2) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(3) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(4) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(10) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(10) दिनांक 05 अगस्त, 2023, प.9(18)राज-1/2022-(5) दिनांक 05 अगस्त, 2023, जिला पुनर्गठन के संबंध में नवीन अधिसूचना क्रमांक प.9(21)राज-1/2024(1) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024 (2 व 3) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(4) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(5) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(6) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(7) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(8) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(9) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024, प.9(21)राज-1/2024(10) दिनांक 29 दिसम्बर, 2024 के द्वारा राजस्थान राज्य में जिलों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवगठन किया गया है। उक्त के क्रम में वर्तमान में राजस्थान राज्य में 41 जिलों के अनुसार 41 जिला परिषदों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवगठन किया जाना है।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-11 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा समस्त ज़िलों के ज़िला कलेक्टर को उनके जिले की राजस्व सीमाओं तक जिला परिषदों का पुनर्गठन किये जाने तथा नवगठित जिलों की जिला परिषदों का नवगठन किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
डॉ0 जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयुक्त ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।